[अध्यक्ष महोदय]

कोई चीज पेश करेंगे तो मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप व्यवस्था का सवाल उठा सकें।

श्री बृजराज सिंह : करीब दो ढाई हजार आदमी बाहर खड़े हैं। बिल को लाने से पहले आप मंत्री महोदय को उनकी राय जानने के लिए भेजें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते है कि उन्होंने मुझे जो काम इस हाउस के अन्दर होता है उसको रेग्युलेट करने का अधिकार दिया है। इसके बाहर का अधिकार मुझे नहीं दिया है।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैं ने कहा कि जब तक कोई सवाल हाउस के सामने न हो, उस वक्त तक यह सवाल नहीं उठ सकता। कोई चीज सामने आने दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकें।

श्री रामेश्वरानन्द : हमने जो कागजों में पढ़ा है उसी के आधार पर श्री लाल बहादुर जी यह विधेयक लाने जा रहे हैं। उनके कहने को सुनने की क्या बात है। जब तक संविधान में संशोधन न किया जाए आप इस विधेयक को नहीं ला सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको लाने से पहले विधान में संशोधन लाएं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बड़ी मुश्किल है। में स्वामी जी को कैसे बार बार एक ही बात कहता रहूं। अभी कोई चीज हाउस के सामने नहीं है, वह किस चीज के बारे में कह रहे हैं। एजेंडा में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब तक कोई चीज हाउस के सामने नहीं आती तब तक उसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसी लिए मैं कहता हूं कि अभी कोई व्यवस्था का सवाल नहीं उठ सकता। अभी कोई सवाल हाउस के सामने नहीं है, पर मेम्बर साहिबान बार बार उठते हैं और काम में रुकावट डालते हैं।

श्री बागड़ी : मैं निवेदन करूंगा कि भाषा का विधेयक वह हाउस में आपकी इजाजत से इंट्रोडयूस करने जा रहे हैं।

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। आप मेरी तरफ मुखातिब हों।

श्री बागड़ी : जनता के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं, यहां आवाजें मारते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री बागड़ी : मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो यह भाषा का विधेयक इंट्रोडयूस किया जा रहा है यह संविधान की खिलाफत हो रही है। इसलिए मैं ने आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न रखा है कि यह इंट्रोडयूस नहीं किया जा सकता, इसको हाउस के सामने रखा ही नहीं जा सकता। १५ वर्ष तक भाषा.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आपने व्यवस्था का सवाल उठा दिया और मैं ने सुन लिया। आप कहते हैं कि उनको इंट्रोडयूस करने का हक हासिल नहीं है। मैं कहता हूं कि उनको यह कहने का हक है कि— "मैं इस विधेयक को इंट्रोडयूस करने की इजाजत चाहता हूं"—। इस पर व्यवस्था का सवाल नहीं उठता। वह हाउस से इस बात की इजाजत मांगते है कि उनको यह बिल इंट्रोडयूस करने की इजाजत दी जाए। अब यह हाउस की मर्जी है कि उनको इजाजत दे या न दे। उनको इजाजत मिलने के बाद यह व्यवस्था का सवाल उठ सकता है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है यह संविधान के खिलाफ है।